



# केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार  
जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन  
61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058  
**CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES**

Ministry of AYUSH, Govt. of India  
Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Evam Homoeopathy Anusandhan Bhawan  
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058

ग्राम : आयुष  
Gram : "AYUSH"  
Fax : 28520748  
**EPBX**  
28525852, 28520501  
28522524, 28525831  
28525862, 28525883  
28525897

फा.सं. 5-1/2011-सीसीआरएएस/एसएफसी

दिनांक:

## ज्ञापन

संगठन ज्ञापन के नियम 46 उपविधि के नियम एवं विनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभारी मंत्री, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में सीसीआरएएस के स्थायी वित्त समिति को 21.04.2015 से निम्नलिखित रूप से पुनर्गठित करते हैं:-

1. संयुक्त सचिव  
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार  
आयुष भवन, आईएनए, नई दिल्ली  
अध्यक्ष
2. वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सदस्य  
निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. प्रो.एच.एम.चन्दोला,  
निदेशक प्राचार्य,  
चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान  
रा.राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली  
सदस्य
4. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा  
अध्यक्ष,  
अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, नई दिल्ली  
सदस्य
5. प्रो.वैद्य करतार सिंह धीमान,  
महानिदेशक, सीसीआरएएस  
सदस्य सचिव

समिति के नियम एवं सदस्य निम्नलिखित रूप से हैं:-

स्थाई वित्त समिति परिषद् के वित्त से संबंधित सभी विषयों पर विचार कर शासी निकाय की अनुशंसा करेगी। सीसीआरएएस शासी निकाय द्वारा प्रदत्त अधिकार से इस प्रकार के विषय पर समिति निर्णय लेगी।

(प्रो. वैद्य के.एस.धीमान)  
सदस्य सचिव एवं  
महानिदेशक .

क्रमशः.....

सेवा में,

अध्यक्ष एवं सदस्य,

सीसीआरएएस के पुनर्गठित शासी निकाय के सदस्य

प्रतिलिपि:

1. शासी निकाय के बाहर जाने वाले सभी सदस्य।
2. पंजीकार सोसाइटी रा.राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पटपड़गंज संस्थागत क्षेत्र, दिल्ली।
3. श्री राजेन्द्र सूद, वरिष्ठ परामर्शदाता, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष भवन, आईएनए, नई दिल्ली।
4. श्री कुन्दन बी. सिन्हा, अवर सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, आईएनए मार्किट के पत्र सं. जेड-36014/08/2014-आरडी दिनांक 21.04.2015 के संदर्भ में।
5. उप निदेशक(प्रशा.)/उप निदेशक(तक.)
6. प्रशा.अधिकारी(प्रशा.)/प्रशा.अधिकारी(स्था. एवं सतर्क.)/सांख्यिकी अधिकारी/लेखा अधिकारी।
7. महानिदेशक के वरि.निजी सचिव।
8. का.अधीक्षक(प्रशा.)/का.अधीक्षक(स्था.)